HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 15527/2026
CNR: RJHC020954932026 | URN: CRLMB / 28661U / 2026

Shailendra Kumar Saini @ Santi S/o Shri Deendayal Saini, Aged About 36 Years, R/o House No. 16, Sanjay Nagar, Near Little Birds School, Police Station Kotwali, District Alwar (Rajasthan) (Presently Confined In Central Jail, Alwar Since 20.04.2026).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajesh Goswami, Adv. Mr. Manjeet Saini, Adv. Mr. Ravindra Saini, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS
Judgment / Order

17/11/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र 483 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत **पुलिस थाना–अखैपुरा, अलवर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट **संख्या–56/2026** अपराध अन्तर्गत **धारा** 317(2), 317(4), 318(2), 318(4), 112(2), 61(2)(ए) बी.एन.एस. तथा 66डी आई.टी. एक्ट में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त ने तर्क दिया कि निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, वह दिनांक 20.04.2026 से अभिरक्षा में है, प्रथम जमानत आवेदन वापिस लिये जाने के आधार पर निस्तारित हुआ था, अभियुक्त के बैंक खाते में कोई राशि जमा नहीं हुई है, उसका इस अपराध से कोई संबंध नहीं है, प्रकरण में बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है, विचारण में समय लगेगा, इसलिए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

Digitally signed by
ARUN KUMAR
MITTAL
Date: 2026.11.19
10:16:15 IST

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में यह आरोप है कि पुलिस को साईबर फ्रॉड के संबंध में सूचना प्राप्त हुई जिस पर संदिग्ध खातों की तलाशी की गयी तो 18,00,000/– रूपये की राशि रघुनाथ के बैंक खाते में जमा होना पाया गया, उससे पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि यह बैंक खाता सह–अभियुक्त हेमन्त सैनी उर्फ फुंटी ने खुलवाया था, हेमन्त से पूछताछ की गयी तो यह बताया कि प्रार्थी–अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार सैनी ने यह बैंक खाता अरेन्ज कराने हेतु कहा था।

उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति के अनुसार अभियुक्त रघुनाथ तथा हेमन्त से वर्तमान प्रार्थी–अभियुक्त का मामला भिन्न हो जाता है। प्रार्थी–अभियुक्त के बैंक खाते में कोई राशि जमा नहीं होना प्रकट हुआ है, अभियुक्त करीब साढे छः माह से अभिरक्षा में है, प्रकरण में बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है, शेष विचारण में समय लगने की संभावना है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **शैलेन्द्र कुमार सैनी उर्फ सेन्टी पुत्र दीनदयाल सैनी** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

Crt_7/S-A/101/Mittal